प्रैस नोट दिनांक 03.02.2016

Rewari

पैट्रोल पंप से बैट्री चोरी के मामलें में तीन आरोपी गिरफ्तार:-

बधराना के निकट स्थित एक पैट्रोल पंप से बैट्री चोरी करने के मामलें में गत दिवस रामपुरा थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान बधराना निवासी जितेन्द्र उर्फ जीतू, रोनक उर्फ टूटू व बेरवाल निवासी रविकुमार में रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की हुई पांच बैट्री भी बरामद कर ली है।

जानकारी देते हुए जांचकर्ता ने बताया कि आरोपी जितेन्द्र उसी पैट्रोल पंप पर सेल्समैन कार्यरत था। 17/18 जनवरी की रात को जितेन्द्र ने रोनक व रविकुमार को पंप पर बुला लिया और पैट्रोल पंप पर लगे इनर्वटर की पांच बैट्री चोरी कर ली। पुलिस ने पंप संचालक शुभराय की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी और गत दिवस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की हुई पांचों बैट्री बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज अदालत में पेश किया जाएगा।

गोली चला कर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार:-

19 जनवरी को गांव कतोपुरी में युवक पर गोली चलाते हुए जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को बीती रात जाटूसाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राजबीर उर्फ भालू के रूप में हुई है। जांचकर्ता एसआई जयभगवान ने बताया की 7 जनवरी को कतोपुरी निवासी अजीत कुमार के चचेरे भाई के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की थी, उस मामलें में अजीत सिंह ने उक्त आरोपी पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। उसी रंजिश के कारण 19 जनवरी की शाम को उक्त आरोपी अजीत के घर पर पहुंचा और जानलेवा हमला करते हुए मकान पर गोली चला दी।

ग्रामीणों द्वारा घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और अजीत कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि एक जनवरी की शाम जाटूसाना पुलिस ने उक्त आरोपी को अवैध पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस

सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा पूछताछ पर आरोपी राजबीर ने अजीत कुमार के मकान पर गोली चलाने की वारदात का खुलासा किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा।

हत्या के मामलें में शामिल एक और आरोपी गिरफ्तार:-

बावल थाना क्षेत्र के गांव किशनपुरा में युवक की गई हत्या की वारदात में शामिल एक और आरोपी को बीती शाम बावल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कतोपुरी निवासी चन्द्र पाल उर्फ धमेन्द्र उर्फ धम्मल के रूप में हुई है। हत्या की इस वारदात में शामिल छह आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार वारदात में प्रयुक्त की गई देशी पिस्तौल बरामद कर चुकी है।

जानकारी देते हुए जांचकर्ता ने बताया कि 23 दिसंबर की रात प्राणपुरा निवासी बिजेंद्र अपने भतीजे मनीष के साथ खेत से घर लौट रहा था। किशनपुरा गांव के निकट आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि उक्त आरोपी ने बिजेंद्र को पकड़ कर उसकी गर्दन पर फर्सी से हमला किया था और गब्बर ने गोली चलाई थी। गोली लगने से बिजेंद्र व मनीष दोनों घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया था जहां पर चिकित्सकों ने बिजेंद्र को मृत घोषित कर दिया था। मनीष की गंभरी हालात को देखते हुए उसे गुडगावा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज अदालत से रिमांड पर लेकर वारदात में प्रयुक्त की गई फर्सी के बारे में पूछताछ की जाएगी।

दहेज प्रताडना के मामलें में आरोपी पति गिरफ्तार:-

दहेज प्रताडना व अप्राकृतिक योन शौषण के मामलें में बीती रात पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जखाला निवासी तरूण के रूप में हुई है। जांचकर्ता एएसआई मंगतूराम ने बताया कि पीडिता ने अदालत में इस्तगासा दायर किया था। अदालत के आदेश पर 16 अक्टूबर 2015 को पुलिस ने पीडिता के पति व सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पीडिता ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 जनवरी 2014 को उसने उक्त आरोपी के साथ शादी की थी। शादी के बाद से ही सास ससुर से दहेज के लिए मारपीट कर तंग कर रहे थे। शिकायत में पीडिता ने बताया कि उसका पति भी उसके साथ मारपीट कर अप्राकृतिक यौन शौषण करने का आरोप लगाया था। पीडिता ने आरोप लगाया कि उसके पति द्वारा मारपीट करने के कारण उसका 7/8 माह का गर्भ भी गिर गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा।

Fatehabad

600 ग्राम चुरा पोस्त सहित एक काबूः–

सी0आई0ए0 स्टाफ टोहाना 2 ने चुरा पोस्त तस्करो पर षिकंजा कसते हुये उ0नि0 गुरनाम सि हके नेतृत्व मे गठित टीम ने गांव सलेमपुरी से कुलवन्त सिह पुत्र लटकनसिंह वासी गांव दिवाना थाना जाखल से 600 ग्राम चुरा पोस्त बरामद करने मे सफलता हासिल की है आरोपीा के खिलाफ थाना सदर टोहाना मे मु0 न0 22 दि0 2–2–16 धाराधीन 15.61. 85 एन डी पी एस एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया गया है।

नाजायज पिस्तोल सहित एक काबूः–

सी0आई0ए0 स्टाफ फतेहाबाद ने अवैध हथियार रखने वालों पर षिकंजा कसते हुए प्रधान सिपाही प्रदीप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने भट्टु रोड सिरसा बाईपास फतेहाबाद से गस्त व चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति को एक पिस्तोल नाजायज ;315 बोर सहित काबू किया है। पकडे गये आरोपी की पहचान प्रवीन कुमार पुत्र अभय सिह वासी भोडिया खेडा के रूप में हुई है। इस सम्बन्ध में मुकदमा नं0 46 दि0 2.02.16 धाराधीन 25.54.59 आर्मस एक्ट थाना षहर फतेहाबाद दर्ज रजिस्टर किया गया है।

उदघोशित अपराधी किया गिरफतार :–

थाना शहर टोहाना पुलिस ने स0उ0नि0 रामेशवर दास के नेतृत्व मे गठित टीम ने अदालत के आदेशो की अवहेलना करने के आरोपी को गिरफतार किया है। पकडे गए आरोपी की पहचान सतीष कुमार पुत्र अमृत लाल वासी रायपुरिया पट्टी बालु थाना कलायत जिला कैथल के रुप मे हुई है । प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत एस0डी0जे0एम0 टोहाना दिनांक 10.4.15 को मु0न0 485 दि0 8.11.14 धाराधीन 420 भा0द0स0 व 25.54.59 आर्मस एक्ट थाना शहर टोहाना मे पी0ओ0 घोषित किया था । आरोपी के खिलाफ थाना शहर टोहाना मे अभियोंग न0 35 दिनांक 2.02.2016 धारा 174 ए भा0द0स0 के तहत अभियोग अंकित किया गया है।

5 जुआरी गिरफतारः–

सी0आई0ए0 स्टाफ टोहाना–2 ने सर्वजनिक जगह पर जुआ खेलने वालो पर शिकंजा कसते हुए प्रधान सिपाही रोहताश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने नजदीक ककड हस्पताल टोहाना छापा मारकर सुनील उर्फ सोनू पुत्र सुभास चन्द वासी पुरानी सब्जी मण्डी टोहाना ,जगदीष चन्द उर्फ कमल पुत्र नाथकिशोर वासी नहर कलोनी टोहाना, अनिल कुमार पुत्र धर्मचन्द वासी रामनगर टोहाना, सन्दीप कुमार पुत्र मनीराम उर्फ मनिया वासी कन्हडी व पवन कुमार पुत्र सोमनाथ वासी गुप्ता कलोनी टोहाना को सर्वजनिक जगह पर जुआ खेलते हुए को काबू करके 30200 रूपये की जुआ राषि सहित गिरफतार करने में सफलता हासिल की है। आरोपीयान के खिलाफ थाना षहर टोहाना में जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

15010 व 2120 रूपये सहित दो सट्टेबाज गिरफतारः–

सी0आई0ए0 स्टाफ फतेहाबाद ने प्र0सि0 अनिल कुमार के नेतृत्व मे गठित टीम ने नजदीक मस्जिद वाला स्कूल फतेहाबाद से आरोपी दिनेश पुत्र ईश्वर दास वासी नजदीक मस्जिद वाला स्कूल भीवा बस्ती फतेहाबाद को जगह सरेआम पर सटटा खाईवाली करते 15010 रूपये की सट्टा राशि सहित गिरफतार करने मे सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ थाना शहर फतेहाबाद में जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इसी प्रकार थाना शहर टोहाना पुलिस ने प्र0सि0 सुरेन्द्र सिह के नेतृत्व मे गठित टीम ने नई अनाज मण्डी टोहाना से आरोपी मोमन पुत्र ओंमप्रकाश वासी नई अनाज मण्डी टोहाना को जगह सरेआम पर सटटा खाईवाली करते 2120 रूपये की सट्टा राशि सहित गिरफतार करने मे सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ थाना शहर टोहाना मे जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

लूट का आरोपी गिरफतारः–

सी0आई0ए0 स्टाफ टोहाना ने स0उ0नि0 औम प्रकाश के नेतृत्व मे गठित टीम ने नरवाना टी प्वाईट टोहाना मे गुप्त सुचना के आधार पर नाकाबन्दी के दोरान दि0 30.10.14 को शिकायतकर्ता सतीश कुमार पुत्र नफे सिह वासी कन्हडी के चावल से भरे ट्रक को लुटने के आरोपी सतीश कुमार पुत्र अमृत लाल वासी रायपुरिया पट्टी बालु थाना कलायत जिला कैथल को गिरफतार करने मे सफलता हासिल की है ।

चूरा पोस्त बेचने का आरोपी गिरफतारः–

थाना रतिया पुलिसने नशा तस्करो पर शिकंजा कसते हुये उ0नि0 रघबीर सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने गांव बादलगढ में गस्त व चैकिंग के दौरान चूरा पोस्त बेचने के आरोपी प्रेम सिह पुत्र दिवान सिह वासी बादलगढ को गिरफतार किया है। इस मुकदमा में दि0 18.1.16 को सतगुरू पुत्र सुखदेव सिंह व सुखदेव सिंह पुत्र धर्म सिंह वासीयान कुलरियां पंजाब को 8 किलो 300 ग्राम चूरापोस्त सहित गिरफतार किया जा चूका है ! उपरोक्त दोनो आरोपियों ने पुछताछ के दोरान बताया था कि हम यह चूरा पोस्त प्रेम सिह पुत्र दिवान सिह वासी बादलगढ से लेकर आएं थे जो अब पुलिस ने चूरा पोस्त बेचने के असल आरोपी को गिरफतार करने मे सफलता हासिल की है । आरोपी के खिलाफ थाना रतिया में पहले ही एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित है।

शराब तस्कर गिरफतारः–

1 थाना जाखल पुलिस ने प्र0सि0 वीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सुचना के आधार पर छापामार कर गांव शक्करपुरा से रमेश कुमार पुत्र कुन्दन लाल वासी शक्करपुरा को 8 बोतल शराब ठेका देसी सहित गिरफतार करने मे सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ थाना जाखल में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

2 इसी प्रकार थाना जाखल पुलिस ने उ0नि0 रामकुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सुचना के आधार पर छापामार कर गांव दिवाना से गुरचरण सिंह उर्फ चन्ना पुत्र जगतार सिंह वासी दिवाना को 7 बोतल शराब ठेका देसी सहित गिरफतार करने मे सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ थाना जाखल में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Kurukshetra

कुरुक्षेत्र 03 फरवरी। जिला पुलिस ने शहर कुरुक्षेत्र से आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी जसविन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया तथा आरोपी के कब्जे से 7 बोतले शराब अग्रेंजी बरामद की। यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस चौंकी कृष्णा गेट से सहायक उप निरीक्षक जरनैल सिंह की पुलिस टीम ने नजदीक रविदास चौंक थानेसर से एक आरेापी जसविन्द्र सिंह पुत्र हरी चन्द निवासी गांव बारना को गिरफ्तार किया तथा आरेापी के कब्जे से 7 बोतले शराब ठेका अग्रेंजी मार्का ईम्पीरियल ब्लयू बरामद हुई। बाद गिरफ्तारी आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

कुरुक्षेत्र 03 फरवरी। पुलिस कर्मचारियो के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में एक और आरोपी रणधीर सिंह गिरफ्तार। यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 31 अक्तूबर को महिला थाना से सहायक उप निरीक्षक प्रवीन कौर साथी कर्मचारियों के साथ दोषी रपतार सिंह को पकडने के लिए गांव उदारसी में उनके घर गये थे परन्तु वहां मौजूद उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार jकिया तथा दोषी रफ्तार को मौका से फरार कर दिया था। बाद दर्ज मुकदमा प्रबध्ंाक थाना झांसा की पुलिस टीम ने मामले में जांच के दौरान एक और आरेापी रणधीर सिंह पुत्र बनारसी दास निवासी उदारसी को गिरफ्तार किया। बाद गिरफ्तारी आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया। जब कि मामले में रफतार सिंह सहित तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कुरुक्षेत्र 03 फरवरी। जिला पुलिस ने मुस्कान अभियान के दौरान एक और लडकी को सी डब्लू सी के हवाले किया। यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया उप निरीक्षक भीम सिंह व महिला थाना से सहायक उप निरीक्षक रमनदीप कौर की पुलिस टीम ने एक 9 वर्ष की लडकी को शहर थानेसर ने लाकर सी डब्यू सी सैल के हवाले किया। बाद काउंसलिंग पाया की लडकी का नाम खुशी है पिता का नाम गंगा राम है जोकि जिला मुज्जफर नगर के रहने वाले है। बाद में लडकी के माता पिता को सूचना दी गई तथा खुशी को माता पिता से मिलवाया गया। फोटो साथ है-

यमुनानगर, 3 फरवरी (   )पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस पुरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस वाहन चोरी की घटनाओं को सुलझाते हुए अनेकों वाहन चोरों को गिरफतार भी किया है। पुलिस अधीक्षक ने ऐसी वारदातों को रोकने व वाहन चोरी की वारदातों में शामिल आरोपियों को गिरफतार करने के लिए एंटी व्हीक्ल थैप्ट सैल का गठन किया हुआ है। उन्होंने बताया कि एंटी व्हीक्ल थैप्ट सैल की जिम्मेवारी एएसआई रमेश कुमार को सौंपी हुई है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एंटी व्हीक्ल थैप्ट सैल के एसआई धर्मसिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर अपनी पुलिस टीम के साथ मोटरसाइकिल चोर राकेश कुमार पुत्र सोमपाल वासी नगली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को गिरफतार करने में सफलता हासिल की। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी राकेश ने थाना बुडिया के क्षेत्र से मोटरसाइकिल(बजाज प्लेटीना)जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एचआर.02एए-5478 जिस बारे थाना बुडिया में 22 फरवरी 2013 को मुकदमा नम्बर 19/13 जैरे धारा 379 आईपीसी दर्ज है, को चोरी करना कबूल किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त वारदात के अलावा आरोपी राकेश ने एक मोटरसाइकिल (सुपर स्पलेंडर)विकास नगर(उतराखंड)व एक मोटरसाइकिल(टीवीएस विक्टर)को सरसावा जिला सहारनपुर से चोरी करना कबूल किया है। उपरोक्त तीनों मोटरसाइकिलें आरोपी के घर से बरामद कर ली गई है।

इसी प्रकार पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एंटी व्हीक्ल थैप्ट सैल के एएसआई सुखविन्द्र सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर अपनी पुलिस टीम के साथ आरोपी इमरान उर्फ छोटा पुत्र आबिद हसन वासी पुराना हमीदा यमुनानगर को चोरी के टैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन एचएनइ-5250 ट्राली सहित गिरफतार करने में सफलता हासिल की है, जिस बारे थाना शहर यमुनानगर में 31 जनवरी 2016 को मुकदमा नम्बर 39/16 जैरे धारा 379 आईपीसी दर्ज है। आरोपी इमरान ने यह ट्रैक्टर-ट्राली शूगर मिल के गन्ना यार्ड से चोरी की थी। उपरोक्त वारदातों में पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई।

यमुनानगर, 3 फरवरी(   )जिला पुलिस ने अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर अवैध खनन रोकने के लिए हर प्रकार के पुख्ता प्रवंध किए हुए हैं और अवैध खनन करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस ने काफी संख्या में अवैध खनन करने वाले वाहनों को जब्त कर उनके खिलाफ कारवाई की है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस ने गत दिवस रेता-बजरी व ऑवर लोडिड ट्रक एवं ट्रैक्टर-ट्रालियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए रेता-बजरी से भरे 10 वाहनों को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगाने के लिए पुलिस ने अवैध खनन के आने जाने वाले गुप्त स्थानों की जांच कर उनपर नाके लगाए हुए हैं।

Sonipat

" अवैध हथियार सहित युवक चढा पुलिस के हत्थे, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल"

सोनीपत, 3 फरवरी। जिले के एस0पी0 श्री अभिषेक गर्ग ने अपनी विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत अपने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं स्पैशल यूनिट प्रभारियो को अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड के निर्देश दिये है। इन्हीं निर्देशों की पालना करते हुये जिले की थाना सी0आई0ए0 स्टाफ सोनीपत पुलिस ने शातिर बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफतार किया है। गिरफतार आरोपी प्रदीप पुत्र कृष्ण निवासी पिनाना जिला सोनीपत का रहने वाला है।

इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सी0आई0ए0स्टाफ सोनीपत में नियुक्त मुख्य सिपाही सन्दीप कुमार कल साय अपनी पुलिस पार्टी के साथ अपराधियो एवं असामाजिक तत्वो की खोज मे पिनाना की सीमा मे मौजूद था कि इन्हे एक युवक संदिग्ध अवस्था मे ंघुमता हुआ दिखाई दिया। जिसको काबू करके नाम व पता पूछा तो अपनी पहचान उक्त प्रदीप पुत्र कृष्ण निवासी पिनाना के रूप मे दी। तलाशी लेने पर इसके कब्जा से एक अवैध देशी पिस्तोल 315 बोर मिला। गिरफतार आरोपी के विरूध शस्त्र अधिनियम के अन्तगर्त थाना मोहाना मे अभियोग दर्ज किया गया।

अनुसंधान टीम द्वारा गिरफतार आरोपी से प्रारम्भिक पूछताछ करने पर अपने किये अपराध की स्वीकारोक्ति करते हुए बताया कि वर्ष 2015 में हत्या के मामले मे जिन्द पुलिस द्वारा पहले भी गिरफतार किया गया था। फिलहाल गिरफतार आरोपी को न्यायालय मे पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है।

पी0ओ0, बेल जम्परों, पैरोल जम्परों की धरपकड अभियान के अन्र्तगत एक उद्घोषित अपराधी चढा पुलिस के हत्थे "

जिले की थाना मोहाना पुलिस ने एक उदघोषित अपराधी को गिरफतार किया है। गिरफतार आरोपी अमित पुत्र महेन्द्र निवासी विशाल नगर हाल सन्त कबीर नगर शहर सोनीपत का रहने वाला है।

इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि थाना मोहाना में नियुक्त मुख्य सिपाही कुलदीप सिंह ने अपनी पुलिस पार्टी के साथ पी0ओ0,बेल जम्परों व पैरोल जम्परों की खोजबीन करते हुए थाना बरोदा में वर्ष 2013 में दर्ज एक पशु तस्करी के मामले में सलिप्त उक्त आरोपी अमित पुत्र महेन्द्र निवासी विशाल नगर हाल सन्त कबीर नगर को खोज निकालकर गिरफतार कर लिया है। न्यायालय द्वारा इसे वर्ष 2015 में फरार आरोपी घोषित किया था। गिरफतार आरोपी के विरूद्व न्यायालय के आदेशो की अवहेलना करने से सम्बन्धित एक और अपराधिक मामला थाना मोहाना में दर्ज किया गया है। गिरफतार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।